कार्यालय रजिस्ट्रार संस्थाएँ,
जयपुर

क्रमांक फा०/रजि० संस्थाएं/ 1214 जयपुर, दिनांक 25/9/98

अध्यक्ष/मंत्री,

शिवकरण पारवती शिक्षण संस्थान

एम. आई. रोड

जयपुर

विषय :—राज० संस्थान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण के संम्बन्ध में

आपकी संस्था का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक 350/जयपुर/98-99 दिनांक 17/9/98 संलग्न है, जिसकी प्राप्ति की सूचना भिजवाने का कष्ट करें।

यहां आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 4 व 4 "क" की सभा के 14 दिवस में निम्न लिखित सूचनायें भिजवाना आवश्यक है—

1. संस्था के मामलों का प्रबन्ध जिनकों सौंपा गया है, उक्त परिषद समिति या अन्य शाषी निकाय के शासकों संचालकों, न्यासियों या सदस्यों के नाम, पते और पेशे की सूचना मय पद सहित।
2. एक विवरण जिसमें उपरोक्त सदस्यों के नाम आदि उस वर्ष, जिस वर्ष की सूची है के दौरान हुए समस्त परिवर्तनों को दिखाया गया हो।
3. संस्था के नियमों और विनियमों का एक तातारीख सही प्रतिलिपि जो शाषी निकाय के शासकों, न्यासों या सदस्यों में से कम से कम तीन द्वारा सही प्रमाणित की गई हो।

इसके अलावा संस्था के नियमों और विनियमों में किये गये प्रत्येक परिवर्तन की प्रतिलिपि जो उपरोक्त प्रतियां सही प्रमाणित की हुई हो, ऐसा परिवर्तन करने की तारीख से 15 दिवस के अन्दर-अन्दर इस कार्यालय में पहुंच जानी चाहिये।

आपका ध्यान इस अधिनियम की धारा 4 (ख) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार उपरोक्त प्रावधानों का पालन करने में विफल रहने वाला अपराध के सिद्ध होने की दशा में और ऐसे अर्थ दण्ड से दण्डित होगा जो प्रत्येक दिन के लिए जिसमें कि ऐसे अपराध के लिए प्रथम अपराध सिद्ध के पश्चात चूक जारी रहती है पचास रुपये से अधिक नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति धारा के अधीन प्रस्तुत की गई सूची में धारा 4 "क" के अधीन रजिस्ट्रार को भेजे गये विवरण पत्र या नियमों और विनियमों की या उनके किये गये परिवर्तनों की प्रतिलिपि में जानबूझ कर कोई मिथ्या प्रविष्टि या लेख करता या करवाता है तो वह अपराध सिद्धी पर ऐसे अर्थ दण्ड से दण्डनीय होगा, जो 2000/- तक का हो सकता है।

नोट :—इस कार्यालय में भविष्य में किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार करते समय संस्था रजिस्ट्रेशन क्रमांक व दिनांक अवश्य अंकित करें।

रजिस्ट्रार संस्थाएं,
जयपुर

संलग्न :—मूल प्रमाण पत्र एवं